प्रथम
झारखण्ड विधानसभा
के
प्रथम अधिवेशन
में
झारखण्ड के महामहिम राज्यपाल

श्री प्रभात कुमार

का

अभिभाषण

राँची

23 नवम्बर, 2000

झारखण्ड विधानसभा के माननीय सदस्यगण,

भगवान बिरसा की तपोभूमि पर नव सृजित झारखण्ड राज्य के प्रथम विधानसभा के प्रथम सत्र पर मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। मैं अभिनन्दन करता हूँ झारखण्ड राज्य की मांग करने वाले उन तमाम दूर-दराज के क्षेत्रों में फैले हुए तीन करोड़ जनता का जिनके अथक प्रयास से, जो 1830-31 के बाद कोल विद्रोह के रूप में प्रारम्भ हुआ था, अन्ततः 15 नवम्बर 2000 को देश का 28वाँ नया राज्य झारखण्ड राज्य के रूप में अपने नये उत्साह, गरिमा एवं इतिहास के साथ उदय हुआ। झारखण्ड को प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का भंडारगृह कहा जाता है। यह, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस नये राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में आपके सपनों के झारखण्ड को, उसके मूर्त्त रूप में सक्रिय तौर पर कार्यरत देखते हुए आपके बीच में उपस्थित हूँ और इसके लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ।

2. 14/15 नवम्बर, 2000 की मध्य रात्रि में उदित झारखण्ड राज्य तथा प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही झारखण्डवासियों का चिर-प्रतीक्षित सपना साकार हुआ तथा भारतीय गणतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर झारखण्ड आन्दोलन से जुड़े सभी शहीदों के प्रति मैं अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज मैं देश की आजादी के महान अमर शहीद बिरसा मुण्डा, जतरा टाना भगत,

सिद्धो कान्हो, शेख भिखारी, पाण्डेय गणपत राय एवं शहीद विश्वनाथ शाहदेव इत्यादि को भी विशेष स्मरण कर, उन्हें नमन करता हूँ। झारखण्ड राज्य के सृजन से एक ओर जबकि हमें पृथक पहचान मिली है, तो दूसरी ओर हमारी भूमिका तथा दायित्वों की नई चुनौतियाँ हैं। अब हमारा यह सामूहिक दायित्व हो गया है कि हम इस नये राज्य की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में एक नई पहचान बनायें और इसे विश्व के सबसे समृद्ध एवं विकसित राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा करें।

3. विश्व के खनिज मानचित्र पर झारखण्ड का विशिष्ठ स्थान है। झारखण्ड खनिजों का भण्डार और खनिज उत्पादन की दृष्टि से सम्पूर्ण भारत में सर्वोच्च स्थान पर है । झारखण्ड खनिज संसाधन, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज एवं ईंधन खनिज से भरपूर है। देश का लगभग पैंतीस प्रतिशत कोयला इस राज्य में उत्पादित होता है, जिसकी गुणवत्ता उत्तम कोटि की है। यह इस राज्य का सौभाग्य है कि इस देश में पाये जाने वाला कोकिंग कोल, जिसकी सहायता के बिना लौह उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, प्रायः पूरा का पूरा मात्र हमारे राज्य ही में पाया जाता है। प्रकृति का ऐसा वरदान कहीं और देखने को नहीं मिलता। झरिया, चन्द्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, दक्षिण कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा, ईठखोरी, गिरिडीह, राजमहल, लालमटिया, डाल्टनगंज, हुटार, औरंगा इत्यादि कोयला क्षेत्रों में कोयला खनन, उसके परिष्करण तथा ढुलाई इत्यादि के राष्ट्रीय कार्य में लगे

हुए तमाम मजदूर वर्ग के निमित्त उत्तमोत्तर मानवीय सुविधाओं को जुटाने तथा उन्हें उनका न्यायोचित हक दिलाने में हमारी सरकार प्राथमिकता प्रदान करेगी। साथ ही, कोयला आधारित उद्योगों के विकास की भरपूर कार्रवाई की जायेगी। इसी प्रकार, बॉक्साईट जो प्रचुरता से राँची पठार तथा पलामू जिले के पाट क्षेत्र, डोमरपाट, जोहीपाट, सरेंदाग, इत्यादि में पाया जाता है, उसके उत्पादन की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए, स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैय्या कराने के उद्देश्य से, यह सरकार केन्द्र सरकार की मदद सहित, विश्व स्तर से भी निवेश की संभावनाओं पर विशेष प्रयास करेगी। हमारी सरकार मैगनीज, सोना, क्रोमाइट, टंगस्टन, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, फेसपार, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, इलेमेनाईट, चूना-पत्थर, यूरेन्यिम, अबरख तथा ताँबा के रूप में उपलब्ध प्रचुर भण्डारों का वैज्ञानिक एवं अत्याधुनिक तकनीक से दोहन कर, उन्हीं क्षेत्रों में कारखाना स्थापित कर तथा अधिकाधिक स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर देकर, उन्हें उत्तरोत्तर जीवन-बसर की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हर सम्भव प्रयास करेगी।

4. हम जानते हैं कि आशा के अनुरूप विकास नहीं होने तथा प्रशासन-तंत्र की शिथिलता के कारण इस राज्य के कुछेक वर्ग ने किसी लिप्सावश अपने आप को समाज की मुख्य धारा से अलग कर लिया है। उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाकर समाज के समक्ष एक विद्रूप एवं हिंसात्मक स्वरूप पेश किया है। इतिहास साक्षी है कि हिंसा एवं उग्रवाद के रास्ते पर

चलकर किसी जन-समस्या का निदान आज तक नहीं हो सका है, देश के कुछ अन्य भागों में उग्रवाद तथा नक्सलवादी आन्दोलन इस बात के गवाह हैं। इन आन्दोलनों की असफलताओं से उग्रवादी संगठनों को सबक लेनी चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे आन्दोलनों को जनता अन्ततः पूर्णतः नकार देती है। आवश्यकता इस बात की है कि अब जब चहुँमुखी विकास के निमित्त एक नये राज्य का गठन हो चुका है, तो ऐसे भूले-भटके व्यक्ति उग्रवाद की राह को छोड़कर, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएँ। समाज के हर वर्ग की समस्याओं के निदान हेतु, हमारी सरकार सकारात्मक पहल करेगी। हमारा यह प्रयास होगा कि झारखण्ड राज्य के हर स्त्री एवं पुरुष की भागीदारी इस राज्य के नये सृजन में सुनिश्चित की जाये और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाये ताकि सभी की सार्थकता सिद्ध हो सके।

आज के इस पवित्र अवसर पर, मैं इस राज्य के सभी नागरिकों, और खासकर अपने भूले-भटके भाईयों से अपील करूँगा कि वे, पिछली बातों को भूलकर, हिंसा एवं उग्रवाद का रास्ता छोड़ दें और इस राज्य के पुनर्निर्माण में लग जाएँ। हमारी सरकार यह चाहेगी कि उग्रवादी गतिविधियों में संलग्न संगठन आगे आयें और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखें। सरकार खुले मन से उनकी समस्याओं पर विचार करेगी। हमारी सरकार शीघ्र ही उग्रवादी गतिविधियों में संलग्न ऐसे व्यक्तियों के पुनर्स्थापन हेतु

एक कार्य योजना घोषित करेगी, जो हिंसा एवं उग्रवाद का रास्ता त्याग कर मुख्य धारा में शामिल होना चाहेंगे। हमारे इन तमाम पहल एवं प्रयासों के बावजूद भी यदि, स्थिति अन्यथा रहेगी, तो हमें यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि हमारी सरकार, हर स्थिति में, विधि-व्यवस्था एवं भयमुक्त समाज बनाये रखने के लिए सभी वैधानिक एवं प्रशासनिक कदम उठाने में संकोच नहीं करेगी।

हमारी सरकार की यह पहली प्राथमिकता है कि वह यह देखे कि किसी भी व्यक्ति का दोहन अथवा शोषण, चाहे वह मानसिक, शारीरिक अथवा आर्थिक हो, नहीं होने पाये। आवश्यकतानुसार, हमारी सरकार पुलिस-बल का विस्तार करेगी तथा उसे नये सिरे से प्रशिक्षित तथा आधुनिकतम आग्नेयास्त्रों से लैस करेगी। वाहनों, वितन्तु तथा संचार संसाधनों की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ताकि पुलिस जनता को और बेहतर सेवा दे सके। इसके अलावा आवश्यकतानुसार पुलिस थाना एवं आउट-पोस्ट की स्थापना की जायेगी, साथ ही उनके लिए आवासीय योजना हमारी कार्यसूची में शामिल है। केन्द्रीय सरकार से भी अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की जायेगी ताकि विधि-व्यवस्था को पूर्ण नियंत्रण में रखा जा सके। शीघ्र ही, राज्य सरकार द्वारा दो नये सशस्त्र पुलिस बलों के बटालियनों का सृजन किया जायेगा। हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार को इस राज्य के लिए अतिरिक्त 'इंडिया रिजर्व बटालियन' स्वीकृत करने के लिए भी अनुरोध करेगी।

5. झारखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास के लए उन दो करोड़ पच्चीस लाख व्यक्तियों का चतुर्मुखी विकास आवश्यक है जिनका जीवन-यापन कृषि पर आधारित है। इस राज्य के कृषकों को भरपूर कृषि-सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। सिंचाई, इस क्षेत्र की गहन समस्या है। इसके विकास के लिए जलछाजन प्रबंधन कर, पहाड़ी स्थानों में पानी रोक कर सिंचाई सुविधा सृजित की जायेगी। ऐसी छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के सृजित होने से खरीफ फसल के साथ-साथ रब्बी की भी फसल लगायी जा सकेगी, साथ ही भूमिगत जल की उपलब्धता भी बढ़ेगी। इस राज्य में फल-सब्जी के उत्पादन की अपार क्षमताएँ हैं। फल-सब्जी तथा बागवानी का विकास किया जायेगा। साथ ही, 'फूड प्रोसेसिंग' के क्षेत्र में पूँजी निवेश पर बल दिया जायेगा। कृषि उत्पादनों की विपणन की भी सुविधाएँ विकसित की जायेंगी ताकि किसानों को अपनी फसलों का समुचित मूल्य प्राप्त हो सके। इस राज्य के अन्तर्गत कई बड़ी सिंचाई योजनाओं का श्रीगणेश किया गया है। इनमें से कई योजनाएँ पिछले दस या उससे अधिक की अवधि से निर्माणाधीन हैं; परन्तु उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। परिणामस्वरूप, इन सिंचाई योजनाओं का लाभ इस राज्य के किसानों को प्राप्त नहीं हो रहा है, यद्यपि कि उनमें अरबों रुपये का निवेश हो चुका है। हमारी सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि स्वर्णरेखा, अजय एवं औरंगा जैसी सिंचाई योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये ताकि उसका लाभ किसानों को प्राप्त हो सके।

6. शिक्षा-क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करना हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक परिवार का प्रत्येक बालक-बालिका शिक्षित हो, इसके निमित्त प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की जायेगी। यह प्रयास होगा कि सभी को शिक्षा सुलभ तौर पर उनके घर के दरवाजों पर उपलब्ध करायी जा सके। सभी शिक्षक स्कूलों में उपस्थित रहें, इसे हर हालत में सुनिश्चित कराया जायेगा। छात्र स्कूलों में जायें और शिक्षा के स्तर तथा उसके प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हो इसका लगातार अनुश्रवण किया जायेगा। विद्यालय परीक्षाफल, विद्यालय की सफलता का पैमाना होगा। इस नई परिकल्पना को साकार बनाने हेतु, हमारी सरकार द्वारा शिक्षकों के स्थानान्तरण-नीति में परिवर्तन किया जायेगा। हमारा यह प्रयास होगा कि जहाँ तक सम्भव हो, प्राथमिक शिक्षकों को, उनके गृह प्रखण्ड के समीप ही किसी प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित किया जाये, जिससे कि उनकी उपस्थिति में सुधार लाया जा सके। ऐसे शिक्षकों की सफलता का आकलन, उनके विद्यालयों के परीक्षाफल के आधार पर किया जायेगा।

विगत वर्षों में उच्च शिक्षा के स्तर में आई गिरावट स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है, तथा पठन-पाठन एवं 'शैक्षणिक कैलेण्डर' की निरन्तरता एवं लयबद्धता में टूट आई है। इस सरकार का यह प्रयास होगा कि वह इस समस्या का त्वरित निदान करे तथा शिक्षा स्तर को बरकरार रखते हुए,

पठन-पाठन को नियमित कर उच्च शिक्षण संस्थानों की गरिमा को पुनः स्थापित किया जाये तथा समय पर परीक्षाएँ सम्पादित करायी जायें। तकनीकी शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

आज का युग सूचना तकनीकी का है। शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके प्रचार एवं प्रसार पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। नये तकनीकी संस्थानों को निजी क्षेत्र में खोलने तथा उन्हें विकसित करने के लिए, शीघ्र ही एक मसौदा राज्य सरकार द्वारा तैयार कराया जायेगा। इससे न केवल तकनीकी शिक्षा तथा सूचना तकनीकी क्षेत्र का विकास होगा, अपितु बड़े पैमाने पर नये रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार की मंशा है कि राज्य के प्रत्येक प्रमण्डल में कम से कम एक उच्चस्तरीय तकनीकी संस्थान स्थापित हो ताकि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के उच्च शिक्षा का लाभ अधिकाधिक छात्रों को मिल सके।

जनजातीय भाषाओं का विकास एवं परिवर्धन तथा उनकी अस्मिता एवं संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए उराँव, खड़िया, नागपुरिया, पंचपरगनिया, मुण्डारी, संथाल एवं हो इत्यादि भाषाओं का विकास करना हमारी योजना में शामिल है। स्थानीय भाषाओं के अमूल्य अभिलेख एवं पाण्डुलिपियों को उपलब्ध कर उन्हें संधारित किया जायेगा और इस हेतु राज्य अभिलेखागार की स्थापना की जायेगी।

7. प्रत्येक ग्राम को सड़क से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रूप से शामिल है, ताकि प्रत्येक ग्राम-पंचायत को प्रखण्ड मुख्यालय से जोड़ा जा सके। इसके लिए एक वृहद् योजना तैयार करायी जा रही है और उसके अनुरूप कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रत्येक जिला स्तर तक, राज्य स्तरीय मार्गों का उन्नयन अतिशीघ्र किया जायेगा तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत सुधारी जायेगी। राँची से साहेबगंज तथा राँची से गढ़वा के अन्तिम छोर तक राजमार्गों का निर्माण कार्य कराया जायेगा ताकि दूर-दराज की जनता को राजधानी के नजदीक लाया जा सके। छोड़ी-बड़ी नदियों पर, प्राथमिकता के आधार पर, पुल-पुलियों का निर्माण कार्य कराया जायेगा। ग्रामीण तथा अन्य सड़कों के किनारे फलदार एवं ईमारती लकड़ी के वृक्ष लगाये जायेंगे। इस कार्य में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों पर आवागमन की सुविधा अबाध तौर पर चलती रहे, इसके निमित्त शनैः-शनैः इन सड़कों के किनारे विद्युतिकरण की योजना चलायी जायेगी। इस क्रम में, आवश्यकता इस बात की भी होगी कि झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, वन एवं पर्यावरण विभाग सहित अन्य विभागों में प्रतिपादित नियमों, उपनियमों की समीक्षा नये सिरे से आज के परिवेश में की जाये और उनमें यथा आवश्यक संशोधन किया जाये।

इस राज्य के बहुत से जिले अभी भी रेल लाईन से नहीं जुड़े हैं। कहना न होगा कि विकास की आधारभूत आवश्यकताओं में से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता रेल लाईनों का बिछाया जाना है। गत वर्ष माह मार्च, 1999 में हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कोडरमा-हजारीबाग-राँची, देवघर-दुमका तथा देवघर-गिरिडीह रेल लाईनों की आधारशिला रखी गई थी। हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि इन रेल लाईनों के लिए रेल मंत्रालय को शीघ्रातिशीघ्र जमीन तथा अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जायें जिससे कि सम्बन्धित रेल लाईनों का निर्माण कार्य, निर्धारित अवधि के अन्तर्गत, सम्पन्न कराया जा सके और इस प्रकार इस राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों को रेल लाईनों से जोड़ने की परिकल्पना पूरी की जा सके।

8. झारखण्ड राज्य में कोयला आधारित उर्जा एवं हाईड्रो इलेक्ट्रीक उर्जा के विकास की असीम सम्भावनाएँ हैं। कतिपय कारणवश, हमें इसका प्रचुर लाभ नहीं मिल सका है, जिसके कारण, यहाँ के उद्योग धंधे एवं आवासीय परिवेशों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 433 के. डब्लू. एच. प्रति वर्ष है, वहीं झारखण्ड राज्य में प्रति व्यक्ति खपत मात्र 138 किलोवाट है। विकसित राज्यों के मुकाबले में तो यह और भी कम है। हमारी सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, स्थानीय संसाधन सहित, केन्द्र सरकार की मदद तथा विश्व स्तर से पूँजी निवेश की तलाश

कर, छोटी-बड़ी योजनाओं का विकास किया जाये ताकि घर-घर में रोशनी पहुँच सके तथा उद्योग-धन्धों के लिये प्रचुर मात्रा में बिजली प्राप्त हो सके। ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य वृहद् पैमाने पर चलाया जायेगा और अगले 4 से 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम को बिजली से आच्छादित कर दिया जायेगा। इस हेतु, प्रत्येक प्रखण्ड में एक 33/11 के. वी. पावर स्टेशन की स्थापना की जायेगी; संचरण लाईनों को विकसित किया जायेगा तथा पुरानी लाईनों का पुनर्रुद्धार किया जायेगा। आज की आवश्यकता के अनुसार, बिजली बोर्ड का पुनर्गठन होगा तथा बिजली प्रसंग में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा ।

9. उद्योग के क्षेत्र में नयी आर्थिक परिधि में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेश की सम्भावनाओं को विकसित करना तथा राज्य में उपलब्ध प्रचुर संसाधनों का उचित दोहन कर उसे नया स्वरूप प्रदान करना हमारी औद्योगिक नीति में शामिल होगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से झारखण्ड राज्य में अधिकाधिक पूँजी निवेश हो तथा उपलब्ध खनिज संसाधनों पर आधारित बड़े उद्योग-धंधे स्थापित हों, इसके लिए उचित माहौल सृजित किया जायेगा और उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए हर सम्भव सहायता दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर एवं लघु उद्योगों को विकसित करना हमारा लक्ष्य होगा।

10. झारखण्ड राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति इस बात पर आधारित होगी कि प्रत्येक प्रखण्ड स्तर पर कम से कम एक सभी सुविधायुक्त अस्पताल उपलब्ध हो ताकि न्यूनतम चिकित्सा सुविधा हेतु प्रखण्डवासी को अनुमण्डल स्तर / जिला स्तर पर जाने की जरूरत नहीं पड़े; हमारी सरकार चिकित्सकों की उपस्थिति तथा सरकारी नियमों के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति को उनकी सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक स्वास्थ्य उप-केन्द्र कार्यशील हो और रोस्टर के अनुसार, नियत-तिथि पर चिकित्सक वहाँ पर उपलब्ध रहें, प्रत्येक पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना तथा चलन्त अस्पतालों को मुहैय्या कराना हमारा लक्ष्य होगा। इस क्षेत्र में औषधीय वनोत्पाद प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं, जिनका उपयोग ग्रामीण कुटीर उद्योग से लेकर विदेशों तक निर्यात में किया जाता है। करंज, ईमली, सालबीज, केन्दूपत्ता, लाह, अनन्त फुल, चिर-चिट्टी, अर्जुन, चिरैता, सेमल, अश्वगंध, आंवला, खैर (कत्था) इत्यादि पौधे हमें विरासत में मिले हैं। आज के इस पेटेन्ट युग में भी ये हमारे अमूल्य निधि स्वरूप है। अत: हमारी सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि इनकी कटाई और तस्करी रोकी जाये तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी से भारतीय चिकित्सा पद्धति पर आधारित औषधीय उद्योग स्थापित हों।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की भीषण समस्या से हमारी सरकार अवगत है। हमारा यह प्रयास होगा कि अब किसी भी परिवार को नदी,

नाला अथवा छोटे-छोटे गड्ढों में उपलब्ध दूषित जल को पीने की बाध्यता नहीं हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक ग्राम एवं टोला में प्रचुर मात्रा में नलकूप उपलब्ध कराये जायेंगे। छोटे-छोटे तालाबों को मिलाकर, उनके आस-पास के 2-3 गाँवों के लिये पाइप के माध्यम से, परिष्कृत जलापूर्ति की योजना, विकसित की जायेगी। प्रत्येक प्रखण्ड एवं दो हजार से अधिक की आबादी वाले गाँवों में जलमीनार की स्थापना कराई जायेगी। इसी तरह, सभी अनुमण्डल एवं जिला स्तरों पर नये सिरे से जलापूर्ति संसाधन उपलब्ध कराया जाना, हमारी योजना में शामिल होगा। राँची राजधानी सहित दुमका, जमशेदपुर, धनबाद, डाल्टनगंज, चाईबासा आदि शहरों में वृहत्तर जलापूर्ति योजना लागू की जायेगी और इसके लिये तुरन्त 'मास्टर प्लान' बनाया जायेगा।

12. झारखण्ड राज्य के आरक्षित एवं संरक्षित वनों से, पिछले 10 वर्षों में, बड़े पैमाने पर, जंगलों की अवैध कटाई हुई है तथा वन संपदा का व्यापक नुकसान किया गया है, जिसके कारण, जमीन के बंजरीकरण सहित, पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भूमिगत जल सतह भी काफी नीचे चली गई है। जिन जल स्रोतों में सालों भर पानी रहा करता था, वे अब सूखते दिखाई पड़ते हैं। वनों की कटाई के कारण, छोटानागपुर एवं संथाल परगना की पठारी नदियाँ, अब बाढ़ की विभीषिका पैदा कर रही हैं। हमारी सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि छोटानागपुर सहित संथाल

परगना के बंजरीकरण को रोका जाये तथा पर्यावरण को संतुलित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम से वनों का विकास कराया जाये। सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि औद्योगिक विकास के नाम पर वनों का क्षेत्र नहीं घटे, वरन् सामाजिक न्याय के परिवेश में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर वन-सम्पदा को सुरक्षित एवं सर्वहित किया जाये।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी वन सम्पदा एवं अभ्यारण्य चर्चित रहे हैं। बेतला, सारंडा, कुंजरूम, हजारीबाग अभ्यारण्य को विकसित किया जायेगा ताकि भारत के मानचित्र पर ये अभ्यारण्य उभर कर पर्यटकों के मुख्य आकर्षण-केन्द्र बन सकें।

13. पर्यटन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना हमारी सरकार की प्राथमिता होगी। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देवघर, पारसनाथ, रजरप्पा, रामरेखा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थानों को विकसित किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार विकास पर्षद का गठन किया जायेगा। प्राकृतिक सौन्दर्य, पहाड़, नदियों एवं झरनों से आच्छादित स्थलों यथा, नेतरहाट पठारी क्षेत्र, मसान जोर, मैथन, तिलैया, तोपचाँची पर इस प्रकार की सहज एवं सुरक्षित सुविधाएँ विकसित की जायेंगी ताकि पर्वतारोहण तथा अन्य 'एडवेन्चर स्पोर्ट्स' के शौकीन पर्यटक अपनी छुट्टियाँ बिताने हेतु इन स्थानों पर आकर्षित हो सकें।

14. विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक प्रखण्ड को इन्टरनेट तथा जिला मुख्यालयों को विडियोकॉनफ्रेंसिंग की सुविधा से जोड़ा जायेगा। विकास की गुणवत्ता और कालबद्धता का बोध प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक कर्मचारी को हो इसे सुनिश्चित कराया जायेगा। यह विडम्बना की बात है कि शत-प्रतिशत केन्द्रचालित एवं केन्द्रीय सम्पोषित योजनाओं का भी लाभ हम नहीं ले पाये हैं। योजना मद की राशि का भी पूर्णरूपेण उपयोग नहीं हो पाया है। अतः हमारी सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि केन्द्रीय योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाया जाये तथा राज्य योजना की राशि की पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित कराई जाये। इसके लिए, जहाँ कहीं आवश्यक होगा, प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जायेगा ताकि तीव्रता से योजनाओं का कार्यान्वयन हो सके।

राज्य में पंचायत / स्थानीय निकायों का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। इस राज्य के अधिकांश क्षेत्र 'अनुसूचित क्षेत्र' के अन्तर्गत आते हैं जिस कारण, पंचायती राज ऐक्ट में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। हमारी सरकार इस समस्या का शीघ्र ही अध्ययन करेगी और, यदि आवश्यक हुआ, तो सम्बन्धित नियमों में संशोधन की तुरन्त कार्रवाई की जायेगी ताकि पंचायत के माध्यम से लोक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु पंचायत / स्थानीय निकायों का चुनाव अविलम्ब कराया जा सके जिससे आम जनता को प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का लाभ मिल सके।

15. इस राज्य की गहन आबादी के रूप में फैली अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्प संख्यकों के कल्याण एवं उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार अपनी प्रतिबद्धता दुहराती है। बड़े पैमाने पर शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं नियोजन की सुविधाएँ मुहैय्या कराते हुए, उनके कल्याण के निमित्त, अलग से, कोषांगों का गठन किया जायेगा, जिसकी समीक्षा गुणात्मकता के आधार पर लगातार की जायेगी। अधिकाधिक तौर पर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निमित्त सामाजिक सूचना केन्द्र, प्रत्येक प्रखण्ड में स्थापित करने की योजना है। राज्य के सभी प्रखण्डों में सामाजिक सूचना केन्द्र के तहत ई-मेल, फैक्स, इन्टरनेट, डाटाबेस एक्सेस एवं कम्प्यूटर की शिक्षा उपलब्ध रहेगी।

16. खेल जगत के क्षेत्र में झारखण्ड राज्य के खिलाड़ियों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपनी अलग पहचान है। विश्व ओलम्पिक सहित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्षों पूर्व से इस क्षेत्र के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व रहा है। हमारा प्रयास होगा कि गाँव और कस्बों में उभर रहे बाल खिलाड़ियों का विकास किया जाये, उनके निमित्त प्रशिक्षण और आधारभूत सुविधाओं का विकास हो तथा राज्य स्तर पर खेल प्राधिकार का गठन कर इस कार्यक्रम को सुनियोजित रूप से आगे बढ़ाया जाये।

17. झारखण्ड राज्य की राजधानी राँची को विकसित कर, उसे एक अत्याधुनिक सुविधायुक्त शहर बनाने का एक मास्टरप्लान हमारी कार्यसूची

में शामिल है। इस पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। साथ ही, दुमका को उप-राजधानी के रूप में विकसित किया जायेगा।

18. समाज में महिलाओं का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएँ पूर्व से उपेक्षित रही हैं। नारी शिक्षण एवं महिला कल्याण के उद्देश्य से 'नारी शक्ति जागरण विकास' की योजना भी हमारी कार्यसूची में शामिल है।

19. हमारा प्रशासन चहुँमुखी विकासोन्मुख होगा। प्रत्येक कर्मचारी को उत्तरदायित्व-बोध कराया जाना हमारी प्राथमिकता होगी। सरकारी तंत्र तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच, सहज तौर पर हो और जिला स्तर से प्रखण्ड स्तर तक के पदाधिकारी क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं के प्रति उन्मुख हों और उनकी समस्याओं का निदान दिलायें, यह हमारी कार्यसूची में शामिल है।

भ्रष्टाचार, राज्य के लिए अभिशाप स्वरूप है। इस कैंसर रूपी दानव को तत्काल खत्म किया जाना आवश्यक है। इसके निमित्त प्रखण्ड स्तर से जिला स्तर तक निगरानी समितियों सहित अन्य सूचना स्रोतों का गठन किया जायेगा ताकि कार्य निष्पादन-पद्धति पर निरन्तर चौकसी रखी जा सके।

20. माननीय सदस्यगण, नये राज्य के गठन के फलस्वरूप आप पर उत्तरदायित्वों का बोझ बढ़ गया है। आप स्वयं झारखण्ड को आदर्श राज्य बनाने के लिए जन आकांक्षाओं के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित करने में इस सरकार की मदद करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सरकार को उन मुद्दों पर जिम्मेवार होना है जिन मुद्दों पर आधारित इस राज्य का निर्माण किया गया है। भूख, भय, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात विहीन सामाजिक समरसता के तहत एक आदर्श राज्य के रूप में भारतीय गणतंत्र के मानचित्र पर यह राज्य अग्रिम पंक्ति पर खड़ा हो सके, यही हमारी कामना है।

जय हिन्द !